XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2027–दो/12 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–7–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा 49/पुनरावलोकन/अ/20–4/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 24–1–05 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत पेश की गई है । 2/ इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त मुख्य रूप से यह वैधानिक बिंदु उठाया है कि कलेक्टर द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सुने रिव्यू की अनुमति दी गई है । आवेदक को नोटिस भी नहीं दिया गया है । प्रकरण में पुनरावलोकन का कोई आधार भी नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 एवं 161 (उच्च न्यायालय) तथा 2010 आर.एन. 124 का हवाला दिया गया है । अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किा गया । 3– उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में एक मात्र विचारणीय बिंदु यह है कि कलेक्टर द्वारा जो पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है वह विधिसम्मत है या नहीं ? आलोच्य आदेश दिनांक 24–1–05 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति प्रभावित पक्ष को सुने बिना प्रदान की गई है जो संहिता की धारा 51 के प्रावधानों तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों के विपरीत है । न्यायदृष्टांत 2000 रे.नि. 76 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – " धारा–51 परंतुक (एक)–पुनर्विलोकन के लिए मंडल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी–दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अवसर दिए बिना प्रदान नहीं की जा सकती । 2000 रे.नि. 161 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –''धारा–51 (1) परंतुक (एक)– पुनर्विलोकन के लिए अनुमति–मनोनियोग के पश्चात दी जाना चाहिए–शब्द सिफारिश से सहमत–मनोनियोग दर्शित नहीं होता–विधि की अपेक्षा पूरी नहीं होती ।'' इसी प्रकार 2010 रे.नि. 124 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि– धारा 51 (1) –परंतुक (एक) –पुनर्विलोकन के लिए मंजूरी–मनोनियोग का प्रयोग किए और दूसरे पक्ष को सूचना दिये बिना नहीं दी जा सकती । '' धारा 51 (1) –परंतुक (एक) – मनोनियोग का प्रयोग किए और दूसरे पक्ष को सूचना दिये बिना पुनर्विलोकन के लिए मंजूरी प्रदान की गई–मंजूरी प्रत्यक्षतः अवैध है–ऐसी मंजूरी पर पुनर्विलोकन की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के पूर्व संबंधित पक्षकार को सूचना दिया जाना आवश्यक है । जबकि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा संबंधित पक्षकार को सुने बिना अनुमति प्रदान की गई है । इस कारण कलेक्टर द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर का आदेश दिनांक 24–1–2005 निरस्त किया जाता है ।

सदस्य

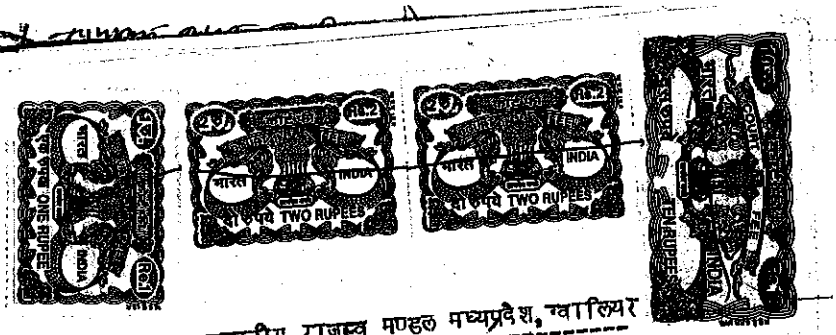

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /२०१२- निगरानी

१- श्रीमती मानमती पत्नी प्रेमचंद जैन,
२- संजय जैन पुत्र सुरेश चन्द्र जैन,
निवासीगण पुराना पन्ना नाका छतरपुर
तेहसील व जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश ।
-------- प्रार्थीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टरमहोदय दिनांक २४-१-०५ प्रार्थीगण को जानकारी दिनांक २२-६-१२ अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र० ४१/पुनराविलोकन/अ-२०४/२००४-०५ । मूल प्रकरण नजूल अधिकारी छतरपुर २४-अ-२०/०४-०५ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, कलेक्टर महोदय ने पुनराविलोकन की अनुमति देने के विवादित आदेश को पारित करने के पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया जो न केवल कानून के प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों के विपरीत है अपितु माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय के अभिनिर्णयों के विपरीत है । ऐसी स्थिति में विवादित आज्ञा निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, माननीय उच्च न्यायालय व्दारा याचिका क्रमांक ६८७६/२००० में पारित आदेश का अर्थ भी सही नहीं समझा गया है ।